

बिहार सरकार  
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

फैक्स  
निबंधित

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
भोजपुर, खगड़िया।

पटना, दिनांक :-...26/3/2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रित को विशेष भत्ता/सम्मान भत्ता के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-365, दिनांक-26.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को जीवनकाल का बकाया राशि 4,31,404/- रुपये एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-255, दिनांक-14.03.2016 के आलोक में अध्याचित मसो0 पूर्णिमा देवी, पति-स्व0 बासुदेव प्रसाद, सा0-जमालपुर, थाना-गोगरी को पारिवारिक पेंशन/पति के जीवनकाल का बकाया राशि 1,26,000/- रुपये के भुगतान हेतु मुख्यशीर्ष-2235 अन्तर्गत कुल 5,57,404/- (पांच लाख संतावन हजार चौर सौ चार) रुपये का आवंटन दिया जाता है:-

क्र सं	जिला का नाम	कुल पेंशनधारियों की अनुमानित सं०	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि	बकाया राज्यांश के भुगतान हेतु अध्याचित राशि का आवंटन	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	भोजपुर	282	11844000	431404	12275404
2.	खगड़िया	108	4536000	126000	4662000
	कुल:-	390		5,57,404	

(पांच लाख संतावन हजार चार सौ चार) रुपये

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0003- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष-0401- पेंशन तथा विपत्र कोड सं०-एन2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता का भुगतान किया जायेगा। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित किये गये राशि में से स्वतंत्रता सेनानी/आश्रितों को नियमित/बकाया विशेष भत्ता का भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि अवशेष रह जाती है तो फरवरी-मार्च 2016 का पेंशन राशि का भुगतान भी किया जायेगा।

(2)

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक- 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-.....140..... पटना, दिनांक-.....26/3/2016.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-.....140..... पटना, दिनांक-.....26/3/2016.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-.....140..... पटना, दिनांक-.....26/3/2016.....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।